Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/000139

देबकी बाई पत्नी स्व0 मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवीस ग्राम ठीमली तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 170/दावा/2018

देबकी बाई पत्नी स्व0 मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवीस ग्राम ठीमली तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.11.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 27.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

27/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00139

देबकी बाई पत्नी स्व0 मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ठीमली तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 209 अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ठीमली तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नम्बरी 242 की रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 246 की 0.81 हैक्अर कुल 02 किता की कुल 2.43 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादिनी मौके पर बहैसियत काबिज काश्त चली आ रही है । वादिनी द्वारा पटवारी हल्का से अपने खाते की आराजी की जमाबन्दी की नकल व नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की तो पटवारी हल्का द्वारा वादिनी को बताया गया कि आप खसरा नम्बर 241 की आराजी पर गलत रूप से काबिज हैं आपके खाते में केवल खसरा नम्बर 242 की 1.62 हैक्टर आराजी दर्ज है । वादिनी के लिए आवश्यक हो गया है कि मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड में व नक्शा ट्रेस में संशोधन करावे ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खाता संख्या नया 27 की खसरा नम्बर 242 की रकबा 1.62 हैक्टर के स्थान पर वादिनी के मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार खसरा नम्बर 241 की 7.00 हैक्टर आराजी में से 1.62 हैक्टर आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 242 की 1.62 हैक्टर आराजी को सिवायचक दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2020 के द्वारा वाद वादिनी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2020 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सनुवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना वाद वादिनी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम ठीमली में स्थित खसरा नम्बर 92 रकबा 69 बीघा 13 बिस्वा में से 10 बीघा आराजी अपीलान्ट को नियमन की गई । बाद नियमन इंतकाल संख्या 83 दिनांक 26.02.1981 से उक्त आराजी अपीलान्ट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई जिस पर वादिनी अपीलान्ट काबिज काश्त चली आ रही है । सेटलमेंट विभाग ने अपीलान्ट के कब्जे काश्त वाली भूमि के नवीन खसरा नम्बर 242 रकबा 1.62 हैक्टर कायम कर अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दी जबकि अपीलान्ट जिस जगह पर काबिज है उस जगह के सेटलमेंट द्वारा खसरा नम्बर 241 रकबा 7.00 हैक्टर कायम कर खाता सरकार दर्ज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के वाद का किसी प्रकार का खण्डन नहीं करने बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना दावा खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम ठीमली खसरा नम्बर 92 रकबा 69 बीघा 13 बिस्वा में से 10 बीघा आराजी अपीलान्ट को नियमन की गई थी। इसके बाबत् इंतकाल संख्या 83 दिनांक 26.02.1981 को खोला जाकर अपीलान्ट के गैर खातेदारी में दर्ज किया गया । अपीलान्ट तब से इस आराजी पर काबिज काश्त है । सेटलमेंट के उपरान्त इसे नवीन खसरा नम्बर 242 रकबा 1.62 हैक्टर कायम किये गये । अपीलान्ट जिस जगह पर काबिज है उस जगह सेटलमेंट के द्वारा खसरा नम्बर 241 रकबा 7.00 हैक्टर कायम कर खाता सरकार दर्ज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी जो कि अपीलान्ट को नियमन की गई थी वो गैर मु0 खाल खद्दर है जो नियमन अथवा आवंटन योग्य है । अन्य व्यक्तियों को भी इसी किस्म की आराजी में से आवंटन/नियमन की गई है परन्तु अपीलान्ट की आराजी को आवंटन योग्य नहीं

मानकर दावा खारिज करने में त्रुटि की है । तनकीयात कायम किये बिना दावा खारिज किया गाय है । रेफरेन्स दायर करने का जो आदेश पारित किया गया है वह क्षेत्राधिकार से बाहर है। अपीलान्ट के दावे का जवाबदावे के माध्यम से कोई खण्डन नहीं किया गया है । इसके उपरान्त तहसीलदार से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई है । अपीलान्ट खसरा नम्बर 242 रकबा 1.62 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 241 रकबा 7.00 हैक्टर में से 1.62 हैक्टर पर काबिज हैं इस कारण खसरा नम्बर 242 के स्थान पर खसरा नम्बर 241 की 1.62 हैक्टर आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं जिसमें रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार सांगोद का पत्र दिनांक 01.11.2018 संलग्न है जिसमें यह अंकित है कि खसरा नम्बर 241 रकबा 7.00 हैक्टर में से 1.62 हैक्टर आराजी वादिनी के खाते में दर्ज करने से कोई राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है और इसके उपरान्त दिनांक 16.02.2020 को एक रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त की गई है और दावा खारिज किया है व रेफरेन्स के निर्देश दिये हैं जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्याालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादिनी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2020 बहाल रखा जावे।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी ने धारा 88, 89 एंव 209 के तहत दावा पेश किया है । दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 पेश की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 242 रकबा 1.62 हैक्टर वादिनी के खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति भी पेश की गई है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 242 साबिक खसरा नम्बर 92 मिन से बना है । नकल जमाबन्दी सवंत् 2073–76 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 241 रकबा 7.00 हैक्टर सरकार के खाते में दर्ज है और इसको जुताई के लिए अनुपलब्ध बताया गया है । नकल नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 के अनुसार वादिनी के खाते में साबिक खसरा नम्बर 93 की 05 बीघा आराजी दर्ज है । इसके अलावा भी पत्रावली पर कुछ नकल जमाबन्दियॉ संलग्न की गई हैं । किसी भी दस्तावेजात को प्रदर्शित नहीं किया गया है और वादिनी के द्वारा बयान के रूप में जो शपथ पत्र पेश किया गया है उसकी ताईद न्यायालय में उपस्थित होकर नहीं की गई है । वादिनी के द्वारा यह कंथन करते हुए दावा पेश किया गया है वो खसरा नम्बर 242 रकबा 1.62 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 241 रकबा 7.00 हैक्टर में से 1.62 हैक्टर पर काबिज है इसलिए उन्हें खसरा नम्बर 241 की 7.00 हैक्टर में से 1.62 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 242 रकबा 1.62 हैक्टर आराजी को सिवायचक दर्ज किया जावे ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादिनी के खाते में हाल खसरा नम्बर 242 की 1.62 हैक्टर किस्म बारा.नी तृतीय दर्ज है । हाल खसरा नम्बर 241 रकबा 7.00 हैक्टर गैर मुमकिन खाल के रूप में सरकार के खाते में दर्ज है और आराजी को जुताई के लिए अनुपलब्ध बताया गया है । वादिनी कब्जे के आधार पर अपने खाते की आराजी को सरकारी सिवायचक आराजी से बदलना चाहते हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान धारा 88 के तहत नहीं है कि सरकारी सिवायचक आराजी को

कोई व्यक्ति कब्जे के आधार पर अपने खाते की आराजी से बदल सके । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा नम्बर 241 की जो आराजी सरकारी सिवायचक है उसको राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन खाल और जुताई के लिए अनुपलब्ध बताया गया है । ऐसी स्थिति में भी वादिनी की प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है । तद्नुसार दावा वादिनी मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादिनी ख़ारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2020 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा